न्यायालय संभागीय आयुक्त, सीकर संभाग, सीकर
पीठासीन अधिकारी डॉ0 मोहन लाल यादव (आई.ए.एस)

अपील संख्या 1205/2023

देवाराम पुत्र चूनाराम जाति बलाई निवासी प्रेमसिंहपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—:अपीलान्टः—

बनाम

1. माली देवी उर्फ मोहनी देवी पुत्री सुरजाराम जाति बलाई निवासी अलोदा थाना खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर
2. ग्राम पंचायत अलोदा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
3. प्रेमाराम पुत्र मंगलाराम
4. सरस्वती पत्नी मिठू
5. गीता पुत्री मिठू
6. कमला पुत्री मिठू
7. भागोती पुत्री मिठू

जाति बलाई निवासी आलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—:रेस्पोडेन्ट्सः—

उपस्थितिः—

1. वकील श्री परमेश्वर लाल सैनी अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री ओमप्रकाश गोरा रेस्पोडेन्टस् 1, 3 ता 7 की ओर से।

न्यायालय संभागीय आयुक्त सीकर (राज.)

निर्णय

दिनांकः—18.12..2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर के आदेश दिनांक 19.04.2022 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत कि गई। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है नामान्तकरण 683 दिनांकित 10.01.1984 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 32 के नया खसरा

संभागीय आयुक्त
सीकर

नम्बर 1265, 1265/1890, 1266 ता 1268, 1273/1881, 1274 कुल किता 7 वाके ग्राम अलोदा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में अपीलान्ट ने अपील में अपने परिवार का सजरा खानदार प्रस्तुत किया। अपीलान्ट के पिता सुरजाराम की मृत्यु दिनांक 15.09.1982 को हो चूकि है। लेकिन रेस्पोडेन्ट सं0 2 ने अपीलांट के पिता सूरजाराम का स्वर्गवास होने पर पटवारी हल्का अलोदा व ग्राम पंचायत अलोदा से मिलकर अपील में वर्णित कृषि भूमि का नामान्तकरण स्वयं के नाम गलत रूप से तस्दीक करवा लिया जिसका रेस्पोडेन्ट सं0 2 को कोई कानूनी अधिकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने समस्त तथ्य छिपाकर अपील प्रस्तुत कि है। कानूनन कोई भी व्यक्ति न्यायालय के समक्ष जब तक स्वच्छ हाथों से नही आता है तब तक वह किसी भी तरह से न्याय प्राप्त करने का अधिकारी नही है। खसरा नं0 1265, 1265/1890, 1266 ता 1268, 1273/1881, 1274 कुल किता 7 वाके ग्राम अलोदा तहसील दांतारामगढ व खसरा नं0 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1104, 1105, 1106, 1135 लगायत 1139 कुल किता 13 के सर्वप्रथम खातेदार काश्तकार सुरजाराम था जिसके स्वर्गवास के पश्चात गोदपुत्र रेस्पोडेन्ट सख्या 2 प्रेमाराम था सुरजाराम के स्वर्गवास के पश्चात विधिवत रूप से विरासत नामान्तकरण संख्या 638 द्वारा राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया। दत्तक पुत्र प्रेमाराम ने राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में हुये अंकन के आधार पर खसरा नं0 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1104, 1105, 1106, 1135 लगायत 1139 कुल किता 13 में से 1/3 हिस्सा को मय कुआ कनैक्शन शिम्भूराम पुत्र प्रभात राम को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 28.08.2014 को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था तत्पश्चात शम्भूराम द्वारा सम्पूर्ण 1/3 हिस्से का बैचान दिनांक 28.12.2016 को अपीलांट के हक में पंजीकृत विक्रय पत्र से कर दिया। अपीलान्ट उक्त आदेश से प्रभावित व हितबद्व पक्षकार है प्रश्नाधीन आदेश में अंकित खसरा व नामान्तकरण सुरजाराम की विरासत से संबंधित है सुरजाराम कि विरासत नामान्तकरण संख्या 683 दिनांक 10.01.1984 प्रेमाराम दत्तक पुत्र सुरजाराम के नाम खोली गई अपीलांट द्वारा क्रय भूमि भी जरिये विरासत प्रेमाराम दत्तक पुत्र सुरजाराम के नाम नामान्तकरण संख्या 683 से खोली गई जो एक ही नामान्तकरण तहत खोली गई है। अपीलांट क्रेता है। क्रेता आवश्यक पक्षकारा होने से प्रश्नाधीन भूमि में हक अधिकार निहित है इसलिये न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के हक अधिकारी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ निर्णय दिनांक 19.04.2022 अपास्त किया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश गोरा उपस्थित हुए।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस अपील पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि प्रकरण अपीलांट रेस्पोडेन्ट

संभागीय आयुक्त
सीकर

के मध्य राजीनाम हो चूका है। इसलिए अपील अपीलार्थी को स्वीकार फरमाया जावे। जिस पर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अधिवक्ता के कथनों पर सहमति जताते हुए अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली, राजस्व रिकार्ड व अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर द्वारा दिनांक 19.04.2022 को अपीलाधीन आदेश पारित किया जिसमें नामांतरण संख्या 683 दिनांक 10.01.1984 को खारिज किया गया तथा तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया कि विधिवत वारिसान की जांच करते हुए नामान्तरण दर्ज करे। अपीलांट ने पैरा संख्या 10 में कथन किया कि दत्तक पुत्र प्रेमाराम ने राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में हुये अंकन के आधार पर खसरा नं0 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1104, 1105, 1106, 1135 लगायत 1139 कुल किता 13 में से 1/3 हिस्सा को मय कुआ कनैक्शन शिम्भूराम पुत्र प्रभात राम को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 28.08.2014 को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था तत्पश्चात शम्भूराम द्वारा सम्पूर्ण 1/3 हिस्से का बैचान दिनांक 28.12.2016 को अपीलांट के हक में पंजीकृत विक्रय पत्र से कर दिया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर खसरा नं0 1265, 1265/1890, 1266 ता 1268, 1273/1881, 1274 में अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इससे स्पष्ट नही है कि अपीलांट द्वारा किस आधार पर अपील में अनुतोष चाहा है। दौराने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष ने पक्षकारों के मध्य राजीनामा होने के अपील स्वीकार किये जाने का कथन किया। लेकिन पत्रावली पर ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही जिसके आधार पर राजीनामा अनुसार अपील स्वीकार कि जा सके। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामढ द्वारा पारित अपीलाधीन न्यायसंगत व विधिसम्मत है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज कि जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.04.2022 यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 मोहन लाल यादव)
संभागीय आयुक्त,
सीकर

निर्णय आज दिनांक 18.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
सीकर